पत्रांक-डी0डी0-2-विविध-302/2009 (पार्ट - II)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय प्राप्त किया बिहार, पटना

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

अपर आयुक्त

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना,दिनांक:-

31.01.19

विषय :- समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सुगम्यता अंकेक्षण पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- निदेशक, अनुश्रवण के कार्यालय के पत्रांक 571 दिनांक 03.10.18

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक 24.01.19 को राज्य आयुक्त निःशक्तता (पुराना सचिवालय स्थित सिचाई भवन परिसर पटना) द्वारा समीक्षा के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि अभी तक एक भी सुगम्यता अंकेक्षण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक, अनुश्रवण के कार्यालय पत्रांक 571 दिनांक 03.10.2018 द्वारा विभागीय वेब साईड पर पत्र लोड किया गया था ।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन भवनों (आवासीय एवं गैर आवासीय) का सर्वेक्षण कर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में पूर्णरूपेण भर कर प्रशासी विभाग [राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, पुराना सचिवालय सिचाई भवन परिसर पटना] को उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें अन्यथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(उपेन्द्र नारायण)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,पटना।

ज्ञापांक:-..........1128 (अ)

पटना/दिनांक:-....31/1/19

प्रतिलिपिः- राज्य आयुक्त निःशक्तता (पुराना सचिवालय स्थित सिचाई भवन, परिसर पटना) को सूचनार्थ समर्पित।

30/1/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,पटना।